(1)

77

समक्ष – न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्र.क.. /13नि.मा.

R 917- I/13

Presented by the V.P. S. Tomar AS
5/3/13

5/3/13

बजरंगलाल पुत्र कवर लाल उम्र 50 साल पुजारी छत्री श्री गणेशजी देवस्थान स्थित कर्बला घाट रोड़ श्योपुर (म.प्र.)

बनाम

1–श्रीमती सुमन शुक्ला पत्नी देवकीनन्दन शुक्ला उम्र 40 साल निवासी किला परिसर श्योपुर जिला श्योपुर (म0प्र0)

2–हेमचन्द पुत्र सियाराम मीणा उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम जैनी तहसील व जिला श्योपुर

3–शंकर पटेल पुत्र कनीराम मीणा उम्र 50 साल निवासी ग्राम कनापुर हाल निवासी पुरानी अनाज मण्डी के पीछे श्योपुर जिला श्योपुर (म.प्र.) ———अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध अन्तर्गत धारा 50 र/w 32 MPLRC आदेश दिंनाक 29.10.2007 द्वारा पारित अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास अनुविभाग श्योपुर प्र.क. 38/06–07/बी–113 उनवान श्रीमति सुमन शुक्ला वगैरहा बनाम तथाकित ट्रस्ट छत्री श्री गणेशजी श्योपुर (म.प्र.)

मान्यवर महोदय,

यह कि मामला इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण ने म.प्र. लोक न्यास अधिनियम की धारा 09 के तहत एक आवेदन पेश कर निवेदन किया ट्रस्ट श्री गणेशजी का पंजीयन प्र.क. 2/68–69/बी–113 आदेश दिंनाक 13.3. 1973 से पंजीयन कंमाक 23 पर किया गया हैं उक्त ट्रस्ट की मुख्य ट्रस्टी महिला चमेली बाई बेवा गोविन्द दास गुजराती ब्राहाम्ण निवासी श्योपुर थी जिनका निधन हो चुका है। आवेदिका उक्त ट्रस्ट की महिला चमेली बाई के समय से ही प्रबंध व्यवस्था करती चली आ रही हैं आवेदिका को यह जानकारी नही थी कि उक्त देवस्थान का ट्रस्ट गठित हैं प्र.क.

बजरंगलाल माली

बजरंगलाल माली

R.1075

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 917–एक/13 जिला – श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15.3.16	प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया । प्रकरण के अवलोकनसे यह स्पष्ट है कि यह प्रकरण पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–10–2007 के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 5–3–13 को अर्थात 5 वर्ष से अधिक समय उपरांत पेश किया गया है । पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है । आवेदक अधिवक्ता भी यह स्पष्ट नहीं कर सके कि पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की किस धारा के तहत इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है । ऐसी स्थिति में सुनवाइ का क्षेत्राधिकार न होने से यह प्रकरण निरस्त किया जाता है । 2/ उभयपक्ष सूचित हों । सदस्य	